सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 07, शुक्रवार, *शाके* 1947- मार्च 28, 2025

Chaitra 07, Friday, Saka 1947- March 28, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 16, 2025

संख्या प. 2(1)वन/2024 :-चुकिं निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चुकिं पूर्वोवत भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है।

और चुकिं सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चुंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची										
क्.स.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			विवरण			
				दिशा	भूमि	खसरा नं.	नाम ग्राम	खसरा नं0	क्षैत्रफल(बीघा में)	क्षैत्रफल (हे0 में)
1	रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी A	खानपुर	झालावाड	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	गे.मु.खलियान गे.मु.नाला सीमा ग्राम गोलाना ग्राम पंचायत भूमि गे.मु.रास्ता गे.मु.नाला	427 460 23 27 461	लाखाखेडी	25	10 बीघा 13 बिस्वा	1.7240
2								26	7 बीघा 08 बिस्वा	1.1979
योग रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी A									18.01	2.9219
3	रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी B	खानपुर	झालावाड	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण	निजी काश्त भूमि सीमा ग्राम गोलाना गे.मु.नाला गे.मु.नाला	520 461 524	लाखाखेडी	462	38 बीघा 18 बिस्वा	6.2969
4								469	11 बीघा 06 बिस्वा	1.8292
5								480	1 बीघा 13 बिस्वा	0.2671
6								481	49 बीघा 00 बिस्वा	7.9318
7								521	0 बीघा 14 बिस्वा	0.1133
8								522	4 बीघा 15 बिस्वा	0.7689
9								523	67 बीघा 16 बिस्वा	10.9751
10								525	1 बीघा 12 बिस्वा	0.2590
योग रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी B									175-14	28.4413
महायोग रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी A+B									193-15	31.3632

हस्ताक्षर
(अशोक कुमार खोजा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर
(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड लाखाखेडी

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Acacia nilotica	देशी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाडी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिगांेट
5	Acacia leucophloea	रोंझ
6	Dalbergia sissoo	शीशम
7	Holoptelia integrifolia	चुरेल

हस्ताक्षर

(अशोक कुमार खोजा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड,

प्रमाण पत्र

जिला :- झालावाड

तहसील :- खानपुर

रेंज :- खानपुर

रक्षित वनखण्ड :- लाखाखेडी

ग्राम :- लाखाखेडी

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिसे विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा 31.3632 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवा दिया गया है। इस क्षैत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा हैं इस क्षैत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 हैं
4. सीमावृती क्षैत्र की स्थिति गे.मु.खालियान/गे.मु.नाला/ग्राम पंचायत भूमि/निजी काश्त भूमि एंव ग्राम की सीमा है। तथा सीमा का उल्लेख एंव खसरानं0 व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं0 व रकबा दर्ज है।
6. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सि˜ हो सके।
7. राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उपरोक्त वनखण्ड परवन मध्यम सिंचाई परियोजना में आयी वन भूमि के बदले आयी राजस्व भूमि जिसका अमलदरामद वन विभाग के नाम हो चुका है।
9. वनखण्ड के मध्य स्थित निजी काश्त भूमि खसरा नं0 24,25/574, 523/550 है जिस पर वन विभाग का कब्जा एंव अधिकार नही है।
10. आज दिनांक 26.08.2023 तक इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है। एवं न ही प्रकाशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

(अशोक कुमार खोजा) **(वी. चेतन कुमार I.F.S.)**
क्षेत्रीय वन अधिकारी **उप वन संरक्षक**
खानपुर **झालावाड़**

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।